राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736

क्रमांकः एफ4 ( )आकाशि/नि.सं./2020/216 दिनांक :- 12.01.2020

सचिव, प्रबंध समिति/प्राचार्य
निजी महाविद्यालय एवं बी.एड. महाविद्यालय
समस्त राजस्थान।

विषयः— राजस्थान के समस्त निजी एवं बी.एड. महाविद्यालयों में विद्यार्थियो के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं आरम्भ करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु समस्त राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं का संचालन "प्रतियोगिता दक्षता" कार्यक्रम के नाम से 12 जनवरी 2019 से आरम्भ किया गया था। राजकीय महाविद्यालयों में "प्रतियोगिता दक्षता" के सफल संचालन को देखते हुए इसका विस्तार राजस्थान के सभी निजी एवं बी.एड. महाविद्यालयों में भी किया जाना है। इसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में IAS, RAS, Bank, REET, SSC, Police (Constable/SI) इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं प्रारम्भ की जानी है।

राजस्थान राज्य की निजी शिक्षण संस्थाओं में निशुल्क कोचिंग कक्षाएं आरम्भ होने से जहां एक ओर जरूरतमंद एवं होनहार विद्यार्थियो के बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकेगा वही दूसरी ओर इनके अभिभावकों पर अनावश्यक रूप से पड़ने वाला आर्थिक भार भी कम होगा। इस ध्येय के आलोक मे अग्रानुसार दिशा—निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें—

1. ये कक्षाएं निशुल्क आयोजित करवायी जानी है। इसके लिए विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क/राशि नही ली जावेगी।

2. महाविद्यालय में 'प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम' हेतु न्यूनतम 05 सदस्यीय समिति का गठन करें जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे/करवाने का अनुभव रखने वाले संकाय सदस्यों को प्राथमिकता देवें।

3. महाविद्यालय में कोचिंग कक्षाओं हेतु एक/दो (यथा वांछित) कक्षा कक्ष चिन्हित करें।

4. इन कक्षाओं के संबंध में सभी विद्यार्थियों के सूचनार्थ महाविद्यालय में नोटिस बोर्ड एवं स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाकर जानकारी प्रदान करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही, संकाय सदस्यों के माध्यम से भी सभी कक्षाओं में विद्यार्थियों को इस बाबत् सूचित करावें।

5. किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कक्षाएं शुरू करने हेतु न्यूनतम नामांकन संख्या 10 है। इतने विद्यार्थी होने पर उस परीक्षा हेतु वांछित पाठ्यक्रम के अनुरूप निर्धारित समयावधी में उसे पूर्ण करने की कार्ययोजना बना अविलम्ब कक्षाएं आरम्भ की जावे।

6. इन प्रतियोगी परीक्षाओं की कक्षाएं महाविद्यालय स्तर पर संकाय सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर ली जानी है।

7. ये कोचिंग कक्षाएं आवश्यक रूप से न्यूनतम चार घन्टे तक महाविद्यालय में नियमित कक्षाओं के समय में ही इसके लिए अलग से कक्षा कक्ष चिन्हित करके आयोजित की जावेगी। प्रतियोगी परीक्षा के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों को इन कक्षाओं में बैठने की समय की स्वतन्त्रता रहेगी। **साथ ही यह स्पष्ट है कि इन कोचिंग कक्षाओं के कारण नियमित कक्षाएं बाधित नही होगी।** जो विद्यार्थी कोचिंग कक्षाओं में बैठना चाहें वे इन कोचिंग कक्षाओं मे उपस्थिति देंगें, तथा जो विद्यार्थी नियमित कक्षाओं में बैठना चाहें वे नियमित कक्षाओं में उपस्थिति देगें।

8. प्रति माह आयुक्तालय द्वारा निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं हेतु विषयवार समय सारणी एवं प्रति दिन अध्ययन करवाये जाने वाले टॉपिक्स का निर्धारण कर कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाते है।

9. इन कक्षाओं के मूल्याकंन के लिए प्रति माह एक या दो बार परीक्षा आयोजित होगी। जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों की प्रकृति, यथा बहुविकल्पीय लघुत्तरात्मक, वर्णनात्मक एवं निबंधात्मक सम्मिलित हो।

10. जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु संकाय सदस्य उपलब्ध नही है, उन विषयों पर दक्ष विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों की विडियो रिकार्डिंग आयुक्तालय द्वारा तैयार करवा कर You Tube पर उपलब्ध करवाई गयी है। इस हेतु "You Tube channel" create किया गया है जिसका नाम "CCE Lectures" रखा गया है। इस You Tube channel पर रिकोर्डेड व्याख्यानों को निम्न तरीके से Search किया जा सकता है:-

Google---------You Tube----- CCELectures-------Subscribe Channel

उक्त "You Tube Channel" पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उपलब्ध करवाये गये व्याख्यानों के संबंध में सघन प्रचार प्रसार कर अधिक विद्यार्थियो तक जानकारी उपलब्ध करवाई जाये ताकि वे इससे लाभान्वित हो सके।

11. इन प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कक्षाओं की आपके महाविद्यालय में सफलता एक मात्र केवल इस मंत्र पर निर्भर करेगी कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के निर्धारित कोर्स निर्धारित समय पर ही समाप्त कर दिये जायें।

12. इन कक्षाओ की शुरूआत आप समारोह पूर्वक करें ताकि आपके द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले इस नवाचार का भली भांति प्रचार प्रसार हो सके एवं आमजन सूचित हो सके। उचित होगा यदि आप इन कक्षाओं का आरम्भ नवचयनित होकर पदस्थापित हुए अधिकारी-गणों यथा जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/उपखण्ड अधिकारी/उप-अधीक्षक/ महाविद्यालय सेवा के संकाय सदस्यों आदि से करवायें, ताकि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओ के नवीनतम् प्रारूपो की जानकारी एवं प्रेरणा मिल सके।

13. इन कक्षाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप समय समय पर जिले मे पदस्थापित अन्य अधिकारियों को व्याख्यानों के लिए आमंत्रित करें।

विद्यार्थियो के भविष्य निर्माण एवं विद्यार्थी हित में "प्रतियोगिता दक्षता" कक्षाओं को प्रारम्भ कर उनका सुचारू एवं सफल संचालन सुनिश्चित करें, ताकि विद्यार्थियो की आकांक्षाओं एवं आशाओं की पूर्ति में एक पथप्रदर्शक के रूप में शिक्षकगण अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर सकें।

(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

(डॉ. अल्पना व्यास)
संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाऐ)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर